4/8/10

'कार्यालय अति0 महानिदेशक पुलिस (अपराध) शाखा राज0 जयपुर
क्रमांक–प–6 ( ) पु0अ0 / म0अ0 / नि0प्र0 / 10 5303 दिनांक 11-8-10

महानिरीक्षक पुलिस
(अपराध) एवं
लोकसूचना अधिकारी पु0मु0
राज0 जयपुर ।

Police Headquarter (SPIO)
1. I.G.P.
2. Dy. I.G.P.
3. O.A./J.C.
4. R.No. 1691 Date. 12/8/10

विषय–सुचना के अधिकार अधि0 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने बावत।

प्रसंग–व–15(418)सीआडी0 / सीबी0 / सु0अ0 / 10 दिनांक5–8–10 के क्रम मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री विकास कुमार म0न0 59 द्वितीय फ्लोर 3 क्रोस 24 मैन जे0पी नगर द्वितीय फैज बंगलोर द्वारा धारा 498ए आई0पी0सी0 के दुरूपयोग के समबन्ध मे सूचना चाही है । धारा 498ए आई0पी0सी0का दुरूपयोग नही हो इस समबन्ध मे श्रीमान अति0 महानिदेशक पुलिस (अपराध) द्वारा पत्र क्रमांक 170–217 दिनांक 29–01–10 के द्वारा समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंजेज व समस्त जिला पुलिस अधीक्षको को आवश्यक दिशा निर्द्वेश जारी किये गये है।परिपत्र की छाया प्रति सलग्न है ।

11/08/2010

पुलिस अधीक्षक (म0अ0)
सीआईडी0 सीबी0
राज0 जयपुर

(7)

कार्यालय अति महानिदेशक पुलिस (अपराध) राज जयपुर

कमांक : प–6(1)पु.अ./म.अ./विविध–निर्देश/010/ 170-217 दिनांक: 29-1-10

समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंजेज
एवं
पुलिस अधीक्षक जिला .....

विषय– भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 498–ए के दुरूपयोग (Misuse of Section 498A of IPC regarding) की रोकथाम के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना बाबत।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धारा 498ए के बढ़ते दुरूपयोग को लेकर समय–समय पर निर्देशित किया गया है। महिला अत्याचार प्रकरणों में दहेज प्रतिषेध अधि. 1961, व घरेलु हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 एवं 498ए भा.द.स. के विधिक प्रावधानों/ नियमों को संवेदनशील होकर बिना पक्षपात कियान्विति के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायालयों द्वारा भी आवश्यक दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

इसी प्रकार ऐसे ही प्रकरणों के संबंध में CRL CWP No. 539/86 डी.के. बसु बनाम प. बंगाल राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 18.12.96 को निर्णय पारित करते हुए निर्देश दिये हैं कि अनुसंधान के दौरान बिना वारण्ट गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रयोग करते समय सद्भावनापूर्ण एवं युक्तियुक्त कारणों को देखकर ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसी तरह वैवाहिक विवादों में तुरन्त प्रभाव से गिरफ्तार करने की अपेक्षा इन विवादों को सुलझाने हेतु दोनों पक्षो में समझौते हेतु Counselling / Meditation कराया जाये।

महिलाओं संबंधी शिकायतों की विशेष रूप से सुनवाई व निस्तारण हेतु सभी थानों पर महिला डेस्क की तरह जिला स्तर पर Crime Against Women Cell का गठन किया जावे।

वैवाहिक झगड़ों में पहले Conciliation / Mediation करवाई जानी चाहिये व असफल होने पर ही धारा 498ए भादसं. व अन्य कानून के तहत कार्यवाही की जानी चाहिये। समझाईश (Counselling / Meditation) केवल प्रशिक्षित गैर पुलिस Counselors द्वारा ही करवाई जानी चाहिये।

ऐसे अति–संवेदनशील मामलों में प्रभावी कियान्विति सुनिश्चित करवाई जावे।

संलग्न -- उपरोक्तानुसार।

अति. महानिर्देशक पुलिस
(अपराध)
राजस्थान, जयपुर।